

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.in

क्रमांक:-सहायता/अग्नि/बजट/20-21(8)/ 3152

दिनांक: 12-11-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली के पत्रांक क्रमशः 971 दि० 09.10.2020 एवं 976 दि० 12.10.2020 द्वारा प्राप्त अभिशंषा/स्वीकृति के अनुसार उनके उपखण्ड क्षेत्र में अग्निकाण्ड से पशुओं की क्षति, कच्चे घर, कपड़े बिस्तर, घरेलू सामान की क्षति कारित हो गई थी। प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता स्वीकृत करने हेतु नीचे अंकितानुसार सहायता राशि बजट सीमा के अधीन आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम. 1 दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	अग्निकाण्ड तिथि	अग्निकाण्ड प्रभावित का नाम व पता	स्वीकृत राशि							बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC Coad
			कच्चा घर	पशु हानि	कपड़े बिस्तर	घरेलू सामान	CF 75%	SF 25%	Total			
1	20.4.20	रणजीत/रामजीलाल जाट नि. बसई तह. कोटपूतली	0	60000 (1-बैस, 1-गाय)	0	0	45000	15000	60000	PNB	6691000100068108	PNB80669100
2	1.8.20	छोटाराम/ग्यारसाराम गुर्जर नि. टापरी तह. कोटपूतली	0	30000 (1-बैस)	0	0	22500	7500	30000	RMGB	1132829038	RMGI3000442
3	27.1.20	कालूराम/बद्रीप्रसाद सैनी नि. राजनोता तह. पावटा	0	76400 (2-बैस, 1-पाडी)	0	0	0	0	76400	RMGB	11328225092	SBINORMGB
4	15.4.20	मोटूराम/पांचूराम माली नि. टसकोला तह. पावटा	3200	0	1800	2000	5250	1750	7000	UBI	700502010005995	UBIN0570052
5	6.3.20	मनीष कुमार/रोहिताश मीना नि. सुदरपुरा (पावटा)	0	30000 (1-बैस)	0	0	22500	7500	30000	SBI	61153333065	SBIN318551
6	8.7.20	शारदा देवी/शयोपाल सैनी नि. मंडा तह. पावटा	0	30000 (1-बैस)	0	0	22500	7500	30000	SBI	61214237592	SBIN318551
7	8.7.20	रामकरण/जगदीश नि. पण्डितपुरा तह. पावटा	0	30000 (1-गाय)	0	0	22500	7500	30000	CBI	3934510929	CBIN0280431
8	9.8.20	सुरेश कुमार/घाडाराम गुर्जर नि. पुरुषोत्तमपुरा	0	21000 (7-बकरी)	0	0	15750	5250	21000	RMGB	83044419977	RMGB0000454
योग			3200	277400	1800	2000	156000	52000	284400			

(अक्षरों रूपये दो लाख चौरासी हजार चार सौ मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा :-

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

01-सूखा

800- अन्य व्यय

(03)-राहत कार्यों पर व्यय

[02]-अग्नि सहायता

12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)

- 1- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- 2- उपरोक्त अंकित प्रभावित सीमान्त/लघु कृषक होने के कारण पशुधन की क्षति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण के आधार पर सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 3- उपरोक्त प्रभावित पशुपालकों द्वारा पशुधन की हानि पर नवीन पशु कय करने का प्रमाणिकरण किया गया है।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर
दिनांक: 12-11-2020

क्रमांक:-सम/ 3153-60

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
- 2- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- 3- कोषाधिकारी जयपुर शहर/ग्रामीण/उपकोषाधिकारी, कोटपूतली
- 4- उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली
- 5- तहसीलदार, कोटपूतली/पावटा
- 6- संबंधित

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर